उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक
विकास प्राधिकरण

UPSIDA

क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर
यूपीसीडा
नवम तल, ए–1/4, लखनपुर,
कानपुर– 208024
दूरभाष : 0512–2582856
ई–मेल : rmkanpur@upsidc.com
वेबसाइट : www.onlineupsidc.com

BM
21/01/21

श्री एन0के0 सिंह,
विशेष कार्याधिकारी (औ0क्षे0)
यूपीसीडा,
मुख्यालय, कानपुर।

सन्दर्भ संख्या 3723 /यूपीसीडा/आरएमके/ दिनांक 19/01/2021

विषयः–वृक्षारोपण हेतु सामाजिक वानिकी प्रभाग को भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या 2168 दिनांक 27.10.2020 के क्रम में प्रेषित अपने पत्र संख्या 2982 दिनांक 13.01.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में पार्कों के रख–रखाव की दृष्टि से अन्य विभागों को अथवा संस्थाओं को शर्तों के साथ क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय स्तर से ही हस्तगत किये जाने की आवश्यक कार्यवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पार्कों को रख–रखाव हेतु देने की कार्यवाई मुख्यालय के अनुमोदन के उपरान्त की जाती है। इस सम्बन्ध में मुख्यालय के पत्र संख्या 273/एसआईडीसी/पी0एम0 दिनांक 10.10.2018 की छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस कार्यालय के पत्र संख्या 27.10.2020 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव जिसमें सामाजिक वानिकी प्रभाग, कानपुर को औ0क्षे0 पनकी साइट–3, कानपुर में पाण्डु नदी के निकट खाली पार्क की रिक्त पड़ी भूमि पर हरित पट्टिका/वृक्षारोपण के लिए 03 वर्षो हेतु दिये जाने का प्रस्ताव सशर्त प्रेषित किया गया था, को संज्ञान में लेकर प्रश्नगत रिक्त भूमि पर सामाजिक वानिकी प्रभाग को वृक्षारोपाण हेतु दिये जाने के सम्बन्ध में मुख्यालय के निर्णय से अवगत कराने का कष्ट करें जिससे तदनुसार अग्रिम कार्यवाई की जा सके।

3936
22/01/21

DY. MGR.
A G M (CIA)

भवदीय,

संलग्नक–यथोक्त।

(राकेश झा)
क्षेत्रीय प्रबन्धक

सन्दर्भ संख्या /यूपीसीडा/आरएमके/ दिनांक

प्रतिलिपि - वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल), निर्माण खण्ड–8 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

(राकेश झा)
क्षेत्रीय प्रबन्धक

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल
डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड

upsidc

यूपीएसआईडीसी काम्पलेक्स
A-1/4, लखनपुर
पोस्ट बाक्स नं. 1050
कानपुर – 208 024
दूरभाष : 2582851-53
फैक्स : 0512-258079
वेबसाइट: www.upsidc.com
ई.मेल : feedback@upsidc.com
सिन : U26960UP1961SGC002834

क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0,
मुख्यालय भवन,
कानपुर

संoसं0: 273 / एसआईडीसी / पी0एम0 / पनकी साईट–5

दिनांक 10.10.2018

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या 1178 / एसआईडीसी / आरएमके दिनांक 06.07.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा एसोसियेशन को औद्योगिक क्षेत्र पनकी–5 के पार्कों को हस्तगत किये जाने के सम्बन्ध में है। इस सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि संयुक्त प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि **"एसोसिएशन से शर्तों के अनुरूप सहमति पत्र लेकर महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जाये तद्नुसार अनुमोदन पर विचार किया जा सके"**। आपके कार्यालय के पत्र संख्या 6185 / एसआईडीसी / आरएमके–पनकी–5 / पार्क दिनांक 17.12.1999 में दी गई निम्नलिखित शर्तें निम्नलिखित हैः–

1. उद्यमी संघ पार्क की भूमि पर कोई स्थायी निर्माण नहीं करायेगा।
2. पार्क का उपयोग पेड़–पौधे आदि लगाने के लिये किया जायेगा।
3. पार्क की भूमि पर निगम का स्वामित्व होगा एवं निगम अपने किसी प्रयोग हेतु पार्क की भूमि वापस ले सकता है। इसमें उद्यमी संघ को कोई आपत्ति नहीं होगी।
4. पार्क पर लगाये गये वृक्षों को नियमानुसार संघ द्वारा काटा जा सकता है, पर निगम की कोई आपत्ति नहीं होगी।
5. यदि संघ 7 वर्ष से पहले निगम द्वारा निर्धारित नोटिस अवधि में बिन्दु संख्या–3 के अनुसार यदि भूमि निगम वापस ले लेता है तो संघ आवंटन तिथि के पश्चात् लगाये गये पेड़ों को नियमानुसार काटकर ले जा सकता है।
6. उद्यमी संघ पार्क का प्रयोग, पार्क के अतिरिक्त किसी अन्य उपयोग हेतु नहीं करेगा।
7. पार्क का रख–रखाव उद्यमी संघ अपने संसाधनों से करेगा।
8. पार्क के चारों ओर एवं पार्क की सड़क पर कोई अतिक्रमण नहीं होगा।
9. निगम के आवंटी एवं उसके कर्मचारी तथा निगम के कर्मचारीगण पार्क में बिना किसी प्रवेश शुल्क के प्रवेश पा सकेंगे (यदि कोई शुल्क भविष्य में लगाया जाता है)।
10. उद्यमी संघ किसी व्यक्ति या संस्था को पार्क का आंशिक या पूर्ण भाग किराये पर नहीं दे सकेगा और न हीं किसी प्रकार का अधिभार सृजित करेगा।
11. निगम को किसी भी समय उद्यमी संघ को दी गई पार्क की भूमि को निरस्त करने का अधिकार रहेगा।

864
11-10-18
Sri Dinesh / [illegible]

Scanned with CamScanner

12. उद्यमी संघ द्वारा खेलकूद के उपकरण (झूले आदि) यदि लगाये जाते हैं तो पार्क के निरस्तीकरण की दशा में अपने व्यय पर 30 दिन में पार्क में लगे उपकरण हटा लेगा।

13. पार्क में प्रकाश एवं पानी आदि की व्यवस्था उद्यमी संघ स्वंय अपने संसाधनों से करेगी इसमें निगम का कोई दायित्व नहीं होगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त शर्तों पर एसोसिएशन से सहमति पत्र प्राप्त कर प्रेषित करने का कष्ट करें जिससे अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

भवदीय,

(मनमोहन)
उप महाप्रबन्धक (पी0एम0) (इंचार्ज)

Scanned with CamScanner